

**कार्यालय कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
संभाग-बलौदाबाजार**

Office Phone No. :- 07727-296695

Email ID :- ee-res.abhanpur@nic.in

**// ई-निविदा आमंत्रण सूचना क्र.-08 //
(द्वितीय बार)**

क्रमांक / 1511 / निविदा / ग्रा.यां.से. / 2026

बलौदाबाजार, दिनांक 19 / 06 / 2026

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में "डी" एवं उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्न दर्शित सिविल कार्यों हेतु मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जारी एवं दिनांक 01.11.2021 से प्रचलित प्रभावशील दर अनुसूची पर ऑनलाईन (Online) निविदा प्रतिशत दर पर दिनांक 28.06.2026 तक ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है:-

स. क्र.	कार्य का नाम एवं निर्माण स्थल	ठेके की अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर राशि (रु.)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु.)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	Zonal Tender- 01 (Different Type of Works i.e. Road, Building, Concrete Works but each work not exceeding cost of Rs. 30.00 lakh) Block-Bilaigarh, Dist. Balodabazar-Bhatapara (C.G.)	40.00	30000/-	1500/-	09 माह	"डी" एवं उच्च श्रेणी
2	Zonal Tender- 02 (Different Type of Works i.e. Road, Building, Concrete Works but each work not exceeding cost of Rs. 30.00 lakh) Block-Bilaigarh, Dist. Balodabazar-Bhatapara (C.G.)	40.00	30000/-	1500/-	09 माह	"डी" एवं उच्च श्रेणी

(2) निविदा की सामान्य शर्तें :-

विस्तृत निविदा विज्ञप्ति (परिशिष्ट-2.10) एवं निविदा दस्तावेज (परिशिष्ट -2.13) यथा संशोधित व अन्य जानकारी वेबसाइट <http://eproc.cgstate.gov.in> में अथवा कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में उपस्थित होकर दिनांक 19.06.2026 से देखी जा सकती है।

टीप :-


(3) निविदा की अन्य शर्तें निम्नानुसार है :-

- निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट में पंजीयन कराना अनिवार्य है।
- ऐसे ठेकेदार जो एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत उपयुक्त श्रेणी में लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत हैं, उन्हें ही मान्य किया जावेगा।
- किसी भी ठेकेदार के पास सभी विभागों से प्राप्त कार्यों को मिलाकर दो गुना से अधिक कार्य नहीं होना चाहिए। तकनीकी योग्यता निर्धारित करते समय ऐसे ठेकेदारों को जिनके पास उक्त सीमा से अधिक लागत का कार्य शेष है, को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।
- जिन ठेकेदारों ने पूर्व में इस विभाग में कार्य अधूरे छोड़े हैं अथवा बगैर विधिक कारण के निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् कार्य का अनुबंध नहीं किया है, उन्हें भी तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जावेगा।
- निविदा ऑनलाईन दो अलग-अलग लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत किया जावेगा। प्रथम लिफाफा में अमानत राशि (निर्धारित अवधि से 03 माह अधिक का हो), सत्यनिष्ठा संधि (नॉन नोटराईज्ड), शपथ-पत्र (रु. 50.00 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर जो नोटरी द्वारा सत्यापित) एवं द्वितीय लिफाफा में तकनीकी दस्तावेज वैध ठेकेदारी पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र, बैंक सर्टिफिकेट, पिछले तीन वर्ष का आयकर रिटर्न, ई.पी.एफ. पंजीयन प्रमाण पत्र तथा Annexure-I(i), I(ii), I(iii) एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तत्पश्चात् दोनों लिफाफा को तीसरे लिफाफा में भरकर प्रस्तुत करना होगा। प्रथम अपात्र होने की स्थिति में द्वितीय लिफाफा नहीं खोला जावेगा। (शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार)

कमश:-

6. विस्तृत निविदा विवरण की विशेष शर्तों की कंडिका क.- 8 "अ" के अनुसार प्रस्तुत निविदा असंतुलित होने पर निविदा राशि का अतिरिक्त अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में अनुबंध के पूर्व जमा करना होगा।
7. वित्तीय प्रस्ताव खोलने के पूर्व सत्यनिष्ठा संधि, जो निविदाकार द्वारा रु. 50.00 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सरल कमांक 1.1 एवं 14 में तिथि को छोड़कर अन्य सभी कंडिकाएं भरकर प्रस्तुत की जावेगी तथा इसका उल्लेख शपथ पत्र में किया जावेगा, को स्कैन कर अपलोड किया जावेगा तथा (स्वहस्ताक्षरित एवं फर्म/जिस नाम से पंजीयन हो उनका सील प्रत्येक पृष्ठ पर होना चाहिए) हस्ताक्षरित हार्ड कापी को वित्तीय प्रस्ताव खोलने हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व अमानत राशि के लिफाफे (A) में रखकर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
8. सत्यनिष्ठा संधि एवं शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर बगैर वित्तीय प्रस्ताव खोले जमा अमानत राशि राज्य शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।
9. ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों की उपस्थिति पंजी/मस्टररोल वेतन भुगतान पंजी, नियोजन पंजी का संधारण अनिवार्य है तथा प्रत्येक नियोजित श्रमिक को उसके बैंक एकाउण्ट में सीधे भुगतान करना अनिवार्य है।
10. ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के साथ-साथ अन्य लाभ जैसे- ओवर टाइम भत्ता, बोनस ग्रेच्युटी, मातृत्व हितलाभ, अवकाश, ई.एस.आई., भविष्य निधि तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी लाभ देना अनिवार्य है।
11. यदि कोई ठेकेदार पावर आफ एटार्नी के आधार पर कार्य को सबलेट करता है तो उसका अनुबंध समाप्त करने हेतु विभाग पूर्णतः सक्षम होगा।
12. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (E.P.F.) एवं विभिन्न प्रावधानों को धारा 1952 के तहत निविदाकार का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है साथ ही निविदा आमंत्रण दिनांक से विगत तीन माह की अवधि में जमा किये गये चालान/भुगतान सर्टिफिकेट पत्र की प्रति प्रस्तुत करना तथा ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
13. विस्तृत निविदा दस्तावेज के 3.8.1 में दिये गये प्रोफार्मा अनुसार ठेकेदारों को बैंक सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को वित्तीय क्षमता प्रमाण पत्र या इसकी सत्यापित प्रतिलिपि जो कि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रमाणित हो, जिसका मूल्य निविदा राशि का 15% होना चाहिए एवं जो आवेदन के दिनांक से 12 माह से अधिक समय का ना हो प्रस्तुत कराना अनिवार्य है।
14. सबलेट में दिये गये कार्य की राशि मूल ठेकेदार के अनुभव में से कम किया जावेगा तथा निजी ठेकेदार से प्राप्त कार्य के अनुभव को मान्य नहीं किया जावेगा।
15. परिशिष्ट 2.10 के Annexure G (Special Condition of NIT) की कंडिका 4 (1 to 5) के अनुसार कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 3 वर्ष तक कार्य का संधारण ठेकेदार को करना होगा, जिसके लिए कोई राशि अलग से देय नहीं होगा।
16. विशेष शर्त की कंडिका 4 के अनुसार परफार्मेंस गारंटी के रूप में प्रत्येक देयक से 5% अतिरिक्त सुरक्षा निधि काटी जाएगी जिसे कार्य पूर्ण होने पर 36 माह की बैंक गारंटी में बदला जा सकता है। ठेकेदार चाहे तो अनुबंध के पूर्व अनुबंध राशि की 5% अतिरिक्त बैंक गारंटी जमा कर सकता है। ऐसे स्थिति में प्रत्येक देयक से अतिरिक्त 5% की राशि की कटौती नहीं की जावेगी।
17. क्षेत्रीय (जोनल) अनुबंध की अवधि अनुबंधित दिनांक से 31.03.2027 तक होगी। अंतिम कार्यादेश अनुबंध की अवधि समाप्त होने के 15 दिवस के पूर्व तक जारी किया जा सकता है।
18. ऐसे निर्माण कार्य जिनकी लागत राशि रु. 30.00 लाख तक होगी। इस क्षेत्रीय (जोनल) निविदा के अंतर्गत प्रत्येक कार्य का पृथक-पृथक अनुबंध के साथ कार्यादेश जारी किया जावेगा। प्रत्येक कार्यादेश के आधार पर कार्य को पूर्ण करने की अवधि पृथक-पृथक हो सकती है।
19. क्षेत्रीय (जोनल) अनुबंध होने के पश्चात् किसी कारण वश अनुबंध की राशि के बराबर कार्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार को किसी भी प्रकार का मुआवजा/क्षतिपूर्ति नहीं दी जावेगी।

- 4) चूंकि निविदाएं ऑनलाईन 28.06.2026 तक प्रस्तुत की जानी है। अतः अमानत राशि सत्यनिष्ठा संधि एवं तकनीकी दस्तावेज स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस कार्यालय में दिनांक 30.06.2026 को कार्यालयीन समय शाम 5.30 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है। निर्धारित समय पश्चात् प्राप्त होने वाले दस्तावेजों को निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
- (5) कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु "थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन" की व्यवस्था कर शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में जानकारी देयक भुगतान के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
- (6) ऑनलाईन निविदा समय सारिणी अनुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर की जावेगी।
- (7) अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किसी एक या सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (8) उपरोक्त सामान्य शर्त निविदा अनुबंध का भाग है।


(यश कुमार खण्डे)

कार्यपालन अभियंता
ग्रा.यां.सेवा, संभाग बलौदाबाजार
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

बलौदाबाजार दिनांक 19/06/2026

पृ.क्रमांक / 15/2 / निविदा / ग्रा.यां.से. / 2026

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर।
2. संचालक जनसंपर्क संचालनालय रायपुर छ.ग. कृपया स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।
3. महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा), जिरों पाईट, विधानसभा रोड रायपुर छत्तीसगढ़।
4. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर।
5. कलेक्टर जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को सादर सूचनार्थ ।
6. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रायपुर मण्डल रायपुर।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा।
8. कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग एवं लोक निर्माण विभाग।
/ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना / मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना संभाग।
9. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उपसंभाग।
10. तकनीकी शाखा एवं नोटिस बोर्ड को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।


कार्यपालन अभियंता

ग्रा.यां.सेवा, संभाग बलौदाबाजार
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)